

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

क्रमांक 67 /अधोविका/बी-2/2018 / 252 E-24

भोपाल दिनांक 30.07.2020

प्रति,


महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
समस्त मध्यप्रदेश

बिषय:- औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के उत्पादनरत होने के प्रमाण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्रमांक/अधोविका/बी-2/2020/ 1608-1661 दिनांक 01.07.2020

बिषयांतर्गत संदर्भित पत्र से औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के उत्पादनरत नहीं होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इकाई से दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु संज्ञान में आया है कि नियमित उत्पादनरत इकाइयों से भी दस्तावेजी प्रमाण मांगे जा रहे हैं। जो कि पूर्णतः अनावश्यक और उद्योग विरोधी है।

उक्त के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि, केवल ऐसा संज्ञान में आने पर कि इकाई 6 माह से अधिक समय से उत्पादन में नहीं है, उक्तानुसार दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त किये जायें। अनावश्यक भौतिक निरीक्षण न किया जाये।



संचालक (एमएसएमई)

उद्योग संचालनालय म0प्र0

क्रमांक 67 /अधोविका/बी-2/2018 / 252 E-24 भोपाल दिनांक 30.7.2020

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय समस्त, म0प्र0 को प्रेषित कर लेख है कि, अपील प्रकरणों में आवश्यक होने पर उक्त प्रपत्रानुसार जानकारी भी प्राप्त की जाये।


संचालक (एमएसएमई)

उद्योग संचालनालय म0प्र0